जसदीप सिंह **बनाम** नक्तु देवी आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 01 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/20

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.10.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 49 जीजी के विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 20.06.2013 को निरस्त किए जाने के आदेश दिए जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा राजस्व ग्राम 49 जीजी के विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 20.06.2013 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 20.06.2013 को दर्ज किया गया है। जो अन्तिम हो चुका है। विरास्तन इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 20.06.2013 अपील योग्य नहीं होने के कारण मियाद बाहर है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज की जाती हैं। पत्रावली इस क़दर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	